138

संख्याः 2212 / XIII-1 / 2015–5(3)2014

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 7 नवम्बर, 2015

विषयः–**राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्यौगिकी मिशन की घटक योजना–सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 कृ0नि0–3207 / लेखा–बजट / एसएमएई–एनएमएईटी / 2015–16 दिनांक 14 अगस्त, 2015, शासनादेश सं0–1177/XIII-1/2015-5(3)2014 दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400 / XXVII(1) / 2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं सं0–645 / XXVII(1) / 2015 दिनांक 04 जून, 2015 तथा भारत सरकार के पत्र सं0–6-24/2014-AE/Extn. Desk दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान सं0–17 के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्यौगिकी मिशन की घटक योजना–सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष समतुल्य राज्यांश सहित कुल **रू0 139.54 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तालीस लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– कृषि निदेशक कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण कर उत्तराखण्ड स्माल फार्मर्स एग्री बिजनेस कन्सोरटियम SFAC के खाते में हस्तान्तरित करेंगे।

3– कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुमोदित कार्ययोजना एवं भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार अनुमन्य कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जायेगा तथा उपयोगित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय / भौतिक प्रगति विवरण यथासमय शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में निहित प्राविधानों, शासन के वर्तमान आदेशों / निर्देशों, वित्तीय नियम संग्रहों, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमावली / प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

5– बजट मैनुवल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः.....2

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–02–राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्यौगिकी मिशन की मानक मद 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शा0स0–183/XXVII(1)//2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से बजट आवंटन विशिष्ट अलाटमैन्ट आई0डी0 सं0–S1511170002 दिनांक 03 नवम्बर, 2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)//2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 2212 **/XIII-1/2015–5(3)2014 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
8. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव